तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 1319/2017 अनवान ओमप्रकाश बनाम बाबूलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मेघवालो की बस्ती बाडमेर आगोर पर जरिये नोटिस तलब होकर दिनांक 05.06.2018 को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मेघवालों की बस्ती बाडमेर आगोर पर पत्रावली पेश हो। सहायक कलक्टर, (एसडीओ) बाडमेर	
05.06.2018	**आदेश** यह पत्रावली बमुकाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मेघवालों की बस्ती बाडमेर आगोर पर पेश हुई। प्रार्थी एवं अप्रार्थी अनुपस्थित। प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर अवगत करवाया है कि प्रार्थी ने एक वाद प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन है। प्रार्थी का कथन है कि ग्राम बाडमेर गादान पटवार क्षैत्र बाडमेर आगोर में स्थित खेत खसरा सख्या 2913/2105 रकबा 0.08.16 बीघा के आया हुआ है। प्रार्थी एव अप्रार्थी सगे भाई है। प्रार्थी द्वारा बाडमेर गादान में स्थित उक्त वादग्रस्त भूमि क्रय की है, जो उसकी खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के काश्त व कब्जे मे जबरन दखलन्दाजी कर निर्माण कार्य करने पर उतारू है, जिसे निषेधाज्ञा जारी कर रोके जाने का निवेदन किया। प्रकरण पंजीयन कर अप्रार्थी पक्ष को सुनवाई हेतु सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थी ने आज दिन तक कोई जवाब प्रस्तुत नही किया है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से प्रथम दृष्टया ऐसा कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नही किया है, जिससे यह प्रतीत होता हो कि अप्रार्थी द्वारा निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी करने का कोई न्यायसंगत आधार प्रतीत नही होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र विधि सम्मत एवं तर्क सगत नही होने से निरस्त किया जाता है। आदेश मजमे आम मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner